न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगगांनगर

फुडाराम बनाम रणजीतराम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या :– 2021/487 (G cms)

	25.10.2021 आज यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील प्रार्थी श्री हरजीत सिंह के जरिये प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करके तथा तहसीलदार राजस्व घड़साना से मौका रिकॉर्ड की रिपोर्ट ली जाकर पत्रावली दिनांक 10.11.2021 को पेश हो।
10.11.2021	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान - कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 2 MGM (रोजड़ी) में पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि चक 13 RJD के मु. नं. 78/26 के कि.नं. 11 ता 14, 17 में आने-जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि के मु. नं. 78/26 के कि.नं. 20 में 14 फुट रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने उक्त रकबे के किला नं. 20 में 10 फुट रास्ता पश्चिम दिशा की ओर देने की सहमति जताते हुए शपथ पत्र पेश किया। तथा कि.नं. 11 के रास्ते की एवज में भूमि देने पर सहमति जताई। पक्षकारान के मध्य सहमति/राजीनामा होने पर तहसील घड़साना

रणजीत
फुड़ा.राम

के चक 13 RJD के प.नं. 78/26 के कि.नं 20 की पश्चिम दिशा की तरफ 10 फुट रास्ता, रास्ते की एवज में कि.नं. 11 में भूमि देने की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व घड़साना को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2021 को कैम्प कोर्ट 2 MGM (रोजड़ी) में मजमे आम सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना